न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–5/24 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के. (1953)

राजस्थान सरकार जरिये कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर। प्रार्थी

बनाम

श्री मंगलचंद पुत्र श्री जयचंद (विक्रेता व मालिक) मैसर्स सोनू मिष्ठान्न भंडार, बीकारेन रोड़ नजदीक बस स्टैण्ड, अनूपगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii/51 **FSSA Act 2006**

निर्णय दिनांकः–

यह इस्तगासा **तत्कालीन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 **ii** की धारा **51** एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.08.2023 को सायं 05:10 बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **सोनू मिष्ठान्न भंडार, बीकानेर रोड़ नजदीक बस स्टैण्ड, अनूपगढ़** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री मंगलचंद पुत्र श्री जयचंद (विक्रेता व मालिक) मैसर्स सोनू मिष्ठान्न भंडार, बीकानेर रोड़ नजदीक बस स्टैण्ड, अनूपगढ़।** संस्थान पर मालिक **श्री मंगलचंद पुत्र श्री जयचंद (विक्रेता व मालिक) मैसर्स सोनू मिष्ठान्न भंडार, बीकानेर रोड़ नजदीक बस स्टैण्ड, अनूपगढ़** कारोबार कर रहा था।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में ट्रे में रखे **05 किलोग्राम कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित) 5 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित) का नगद भुगतान 540 रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है। इसी **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित) की** शुद्वता की जॉच हेतु विक्रेता एंव मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर किक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** को बराबर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए असौ लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1953** के दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1953** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1953 कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हसताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सील बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगरं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2023/1457-58 दिनांक** 12.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग शाला राजस्था.न बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1367/Act/2023/1367 दिनांक** 13.09.2023 अनुसार उक्त नमुना **Standard Food** पाया गया। खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विश्लेशक बीकानेर की जॉच रिर्पाट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र **क्रमांक 47—48, 16.01.2024** के द्वारा **अवधि** पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/संस्था. /2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र **क्रमांक 47—48 दिनांक 16.01.2024** संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 **(2) ii/52 FSSA Act 2006**

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अकुश लग सके।

गैरसायल अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि परिवाद पत्र की मद सं.—1 स्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—2 स्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—3 मनमाने एवं निराधार है। परिवाद पत्र की मद सं.— 4 मनमाने एवं निराधार है। परिवाद पत्र की मद सं.—5 केवल प्रार्थी हस्ताक्षरकर्ता है। परिवाद पत्र की मद सं.—6 झूठी व मनगढंत है। परिवाद पत्र की मद सं.—7 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—8 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—9 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—10 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—11 अस्वीकार है। परिवाद पत्र की मद सं.—12 अस्वीकार है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेशक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नहीं किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला **बीकानेर दिनांक 13.09.2023** में **कलाकंद मिठाई (दूध, चीनी व पिस्ता कटिंग से निर्मित)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमुना **1953 Standard food** पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2) ii 52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म **श्री मंगलचंद पुत्र श्री जयचंद (विक्रेता व मालिक) मैसर्स सोनू मिष्ठान्न भंडार, बीकारेन रोड़ नजदीक बस स्टैण्ड, अनूपगढ़/—5000/**रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 5/9/24 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner